कार्यालय – अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या–वा0क0अधि0/आ.सो.भर्ती–दस–4(घ)/4050 /2024 दिनांक–19 नवम्बर,2024

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शासन के पत्र संख्या–193/11–4–2024 द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान एवं अधिष्ठान के अन्तर्गत 31 पीठ कार्यालयों हेतु समूह "घ" के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति आउट सोर्सिंग द्वारा भरे जाने के स्वीकृतोपरान्त जेम पोर्टल पर बिड प्रकिया का अनुपालन करते हुए सर्वश्री फ्लेमिंगो सीमेंटेशन, 01 सलेमपुर पतौरा काकोरी, लखनऊ को उक्त कार्य हेतु समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त जेम बिड संख्या–2024/बी/5318423 के सापेक्ष जेम अनुबन्ध कमांक–जेम सी–511687734539205 दिनांक 12.11.2024 द्वारा दिनांक **01.12.2024** से एक वर्ष हेतु मुख्यालय द्वारा अनुबन्ध किया गया है।

अतः इस परिपत्र के साथ संलग्न चतुर्थ श्रेणी आउट सोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या व शर्तों के अधीन नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूचना त्वरित माध्यम से मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। **(शर्तें एवं कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में विवरण संलग्न)**

ह0/–19.11.2024
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकनः: संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– वरिष्ठ सहायक (लेखा) मुख्यालय।
3– वरिष्ठ सहायक आलेखक–प्रालेखक–2 मुख्यालय।
4– वरिष्ठ सहायक नाजिर / वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ

निम्न शर्तों एवं अनिवार्यताओ के अन्तर्गत आउट सोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वश्री फ्लेमिंगो सीमेंटेशन, 01 सलेमपुर पतौरा काकोरी, लखनऊ से अनुबन्ध किया गया है:–

1. एजेन्सी का स्थायी पता एवं पिछले छः माह का जी.एस.टी. रिटर्न होना अनिवार्य होगा।
2. एजेन्सी के पास ई0पी0एफ0 मे पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा पिछले छः महीनों में एस.ईएस.आई.सी. चालान होना अनिवार्य है।
3. एजेसी को पिछले तीन वर्ष का ऑडिट बैलेन्स शीट की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
4. एजेन्सी का लखनऊ में कार्यालय होना अनिवार्य है। संयुक्त उद्यम अधिनियम 1872 के अनुसार मान्य रहें। संयुक्त उद्यम मे अधिकतम तीन ही पार्टी भाग ले सकेंगी।
5. निविदादाता एजेंसी का पिछले तीन वर्ष का न्यूनतम टर्न ओवर 1 करोड रूपये का होना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थी के पास दो पहिया वाहन (साइकिल/मोटरसाइकिल) का होना एवं संचालन में दक्ष होना अनिवार्य है।
7. किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग, निगम/सहकारी संस्था अथवा मान्यता प्राप्त संस्था/बैंक मे आपकी फर्म द्वारा यदि इसके पूर्व कोई कार्य किया गया है, तो स्वीकृति प्राप्ति से सम्बन्धित आदेश की प्रति संलग्न करें।
8. फर्म द्वारा समस्त आउट सोर्सिंग कर्मियों को वर्दी उपलब्ध कराई जायेगी जिसे वह पहनकर काम करेंगे।
9. आउटसोर्सिंग कर्मचारी को न्यूनतम कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है।
10. आउटसोर्सिंग कर्मचारी के अवकाश पर जाने या प्रतिष्ठान छोड़ने पर फर्म को प्रतिस्थाई की व्यवस्था तत्काल करनी होगी।
11. निविदादाता फर्म द्वारा निम्नानुसार विभिन्न पीठ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती किये जाने का अनुबन्ध किया गया है :–

कम सं0	पीठ का नाम	विभिन्न जनपदों में आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या
1	पीठ–1, आगरा	03
2	पीठ–2, आगरा	01
3	पीठ–अलीगढ़	03
4	पीठ–1, प्रयागराज	03
5	पीठ–2, प्रयागराज	01
6	पीठ–बरेली	04
7	पीठ–अयोध्या	02
8	पीठ–1, गाजियाबाद	03
9	पीठ–2, गाजियाबाद	02
10	पीठ–गोरखपुर	03
11	पीठ–झाँसी	03
12	पीठ–1, कानपुर	03
13	पीठ–2, कानपुर	02
14	पीठ–3, कानपुर	02
15	पीठ–4, कानपुर	02
16	पीठ–1, लखनऊ	03
17	पीठ–2, लखनऊ	02
18	पीठ–3, लखनऊ	02
19	पीठ–1, मेरठ	04
20	पीठ–2, मेरठ	02
21	पीठ–मुरादाबाद	01
22	पीठ–मुजफ्फरनगर	03
23	पीठ–1, नोएडा	04
24	पीठ–2, नोएडा	02
25	पीठ– सहारनपुर	02
26	पीठ–1, वाराणसी	03
27	पीठ–2, वाराणसी	02
28	पीठ–3, वाराणसी	03
29	पीठ–4, वाराणसी	03
30	पीठ–5, वाराणसी	03
31	पीठ–6, वाराणसी	02
32	लखनऊ मुख्यालय	शेष (17)

12. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा में उल्लिखत की जाने वाली दरो के अतिरिक्त जी0एस0टी0 अलग से दी जानी होगी अर्थात निविदा स्वीकृति के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतिम दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कर अथवा धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. निविदादाता एजेंसी आयकरदाता हो तथा पिछले तीन वर्षों के आयकर भुगतान से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ–साथ पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
14. एजेन्सी को नोटरी शपथ पत्र देना होगा कि उनकी संस्था के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है तथा संस्था को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
15. एजेंसी का श्रम विभाग में अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है।
16. एजेंसी के पास जी.एस.टी. पंजीकरण होना अनिवार्य है।
17. एजेंसी के पास ई0एस0आई0/ई0पी0एफ0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
18. आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यालय अवधि में मदिरापान नहीं करेंगे तथा कर्मचारियों /अधिकारियों से शिष्ट व्यवहार करेंगें। यदि किसी कर्मचारी के बारे मे नशे/मदिरापान अथवा खराब व्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाना होगा। यदि किसी कर्मचारी के विरूद्व कोई इस प्रकार की शिकायत मिलेगी तो फर्म को काली सूची में डाला जायेगा।
19. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर निविदा को अग्रिम वित्तीय वर्ष के लिये भी बढाया जा सकता है।

(तरुण कुमार)
निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।